मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतनीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030) ई–मेल आई0डी0–logisticoffice4@gmail.com
पत्र संख्याः लाजि0–एम0टी0–151/2023 दिनांकः लखनऊ : जनवरी 31, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी–चार–125(14)/2018 दिनांक 10–01–2024 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी–चार–12(31)–2023 दिनांक 01–01–2024 द्वारा निम्न आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष–2023 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 10–01–2024 के कम में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष **दिनांक 01–02–2024** से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क.सं	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	163	960440146	जितेन्द्र कुमार	हरीलाल	कुशीनगर	2023
2	164	980530362	प्रेम कुमार प्रजापति	श्री शिव शंकर प्रसाद	गोण्डा	2023
3	165	980530551	राजेश	श्री परशुराम कुशवहा	गोण्डा	2023
4	166	980580699	राम किशोर	राम नाथ	फतेहगढ	2023
5	167	980701137	उधम सिंह	श्री यशपाल सिंह	शामली	2023
6	168	980580598	महेन्द्र सिंह सचान	छुटनू लाल सचान	झाँसी	2023
7	169	980751347	सुरेन्द्र कुमार	श्री गंगाराम	मथुरा	2023
8	170	980550609	राजनाथ सिंह यादव	श्री राम चन्द्र सिंह यादव	सुरक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	2023
9	171	940710263	इकबाल अली	श्री शाहबुद्दीन	मथुरा	2023
10	172	960670031	राम सिंह	लल्लूराम	बांदा	2023
11	173	960580749	विनय सिंह यादव	मूल चन्द सिंह याादव	झाँसी	2023
12	174	960560082	मु0 मुबारक अली	श्री मुस्तफा हुसेन	महराजगंज	2023
13	175	970540070	दिनेश चन्द्र यादव	मूलचन्द यादव	कुशीनगर	2023
14	176	980480830	श्री कौसर हुसैन रिजवी	श्री शैय्यद प्यारे मियॉ रिजवी	उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ	2023
15	177	980700264	सतेन्द्र कुमार	श्री हरपाल सिंह	अमरोहा	2023
16	178	980550670	सन्तोष कुमार यादव	श्री इन्द्रदेव प्रसाद यादव	बलरामपुर	2023
17	179	980551194	कपिल देव	श्री राम शंकर	कमिश्नरेट, लखनऊ	2023

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली–2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिशिचित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरूद्व विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन नही कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेगें।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:
स्वघोषणा पत्र का प्रारूप–क

31.1.24
(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक–लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक,सुरक्षा सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ।
4. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर/गोण्डा/फतेहगढ़/शामली/झॉसी/मथुरा/बॉदा/महराजगंज/अमरोहा एवं बलरामपुर।

स्व–घोषणा–पत्र

मैं---(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र---------------------------------निवासी-- थाना-------------------------जनपद-------------------------वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) ------------------------ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) 'मेरे विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचें अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण--------------------

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई -------------------------- में कार्यवाही लंबित है, जिसमें दिनांक---------------------- को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0------------------------धारा------------ थाना---------------- जनपद---------------- में लंबित है, जिसमें दिनांक--------------------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी--------------------------------द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग---------------------- वर्तमान में ----------- स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोटः-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।